कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 47/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.02.2026

थाना सरायमीर पुलिस एवं बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ में गोकशी की घटना कारित करने वाले 02 गोतस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से प्रतिबंधित पशु एवं अवैध तमंचा-कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.02.2026 की रात्रि में थाना सरायमीर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, अपराध नियंत्रण, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम डेमरी मकदुमपुर में पूर्व में हुई गोकशी की घटना में संलिप्त शातिर गोतस्कर पुनः एक पिकअप वाहन में गोवंश लादकर गोकशी की नीयत से दीदारगंज–सरायमीर मार्ग होते हुए उक्त ग्राम की ओर जा रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमीर मय पुलिस बल द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। सिकरौर सहबरी के आगे संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु वाहन सवार बदमाशों ने पुलिस को देखकर अवरोधक तोड़ते हुए तेज गति से वाहन भगा दिया। पुलिस द्वारा सिखलाये गये तरीके से बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिसमें बदमाशों द्वारा अपने आप को घिरता देखकर पिकअप वाहन छोड़कर पैदल भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा बार-बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई, किंतु बदमाशों द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 02 बदमाशों पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि दो अन्य बदमाश अंधेरे एवं भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर फरार हो गए।

घायल अभियुक्तों की पहचान-

01. रफीक उर्फ टोनी पुत्र रसीद, निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

02. राहुल यादव पुत्र दिनेश यादव, निवासी गरावपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के रूप में की गयी।

घायल अभियुक्तों द्वारा मौके से फरार अभियुक्तों के नाम पूछने पर निम्नलिखित नाम बताए गए—

01. सलमान पुत्र मिठ्ठन कुरैशी, निवासी शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

02. मन्नान पुत्र मिठ्ठन कुरैशी, निवासी शेरवा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

➡ घायलों को इलाज हेतु सीएचसी फूलपुर भेजा गया है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।

➡ घटनास्थल को सुरक्षित कर फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई है।

बरामदगी का विवरण-

मौके से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई—

- 01 अदद पिकअप वाहन, जिस पर लदा हुआ 01 अदद प्रतिबंधित पशु (बरामद प्रतिबंधित पशु को सुरक्षित कर आवश्यक देखभाल उपलब्ध कराई गई है)।
- 02 अदद तमंचा .315 बोर।
- 02 अदद फायरशुदा कारतूस .315 बोर।
- 01 अदद मिसफायर कारतूस .315 बोर।
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- नगद धनराशि एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 35/2026 अंतर्गत धारा 109(1)/3(5) बीएनएस, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना का विवरण / पूछताछ का विवरणः-

थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डेमरी मकदुमपुर में दिनांक 16.12.2025 को गोकशी की एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 481/2025 अंतर्गत धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना में प्रतिबंधित पशु को ग्राम डेमरी मकदुमपुर स्थित कब्रिस्तान के पास लाकर काटने का प्रयास किया गया था। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर अभियुक्तगण कटा हुआ प्रतिबंधित मांस, चाकू-चापड़, तराजू-बाट व अन्य सामग्री छोड़कर फरार हो गए थे, जबकि शेष जीवित प्रतिबंधित पशु को पुलिस द्वारा सुरक्षित किया गया था।

वर्तमान मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त रफीक उर्फ टोनी पुत्र रसीद निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर तथा राहुल पुत्र दिनेश यादव निवासी गरावपुर, थाना दीदारगंज द्वारा पूछताछ के दौरान उक्त पूर्व घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अभियुक्तों ने बताया कि उपरोक्त घटना में उनके साथ सलमान पुत्र मिठ्ठन कुरैशी निवासी शेरवा, थाना सरायमीर, मन्नान पुत्र मिठ्ठन कुरैशी निवासी शेरवा, थाना सरायमीर, अबुशाद पुत्र अब्दुल अली उर्फ बेचन अली निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, अबुजैद पुत्र अब्दुल अली उर्फ बेचन अली निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, दिलशाद पुत्र अब्दुल अली उर्फ बेचन अली निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, फरीद पुत्र नासिर निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, शकील पुत्र रसीद निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, रेहान पुत्र आफताब निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ एवं कामरान पुत्र आफताब निवासी डेमरी मकदुमपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ — सम्मिलित थे। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि उक्त अभियुक्तगण संगठित रूप से जौनपुर बॉर्डर से सटे क्षेत्रों से प्रतिबंधित पशुओं को पकड़कर पिकअप वाहन से ग्राम डेमरी मकदुमपुर लाते थे तथा गोकशी कर अवैध रूप से प्रतिबंधित मांस का विक्रय कर आपस में धनराशि का बंटवारा करते थे।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक भुवनेश चौबे, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
02. उप निरीक्षक अभिषेक सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
03. हेड कांस्टेबल विद्याकान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
04. हेड कांस्टेबल अम्बुज तिवारी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
05. हेड कांस्टेबल धीरज मिश्रा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।
06. हेड कांस्टेबल रजनीश सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।